हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 300 प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

3495
05/12/2022

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

विषय:– झारखण्ड राज्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2022 में कक्षा 6 से 8 के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावासी हेतु 2000 रूपये के स्थान पर 2500 रूपये संशोधन करने के संबंध में।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा व

संकल्प

1. झारखण्ड राज्य में अवस्थित राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 10 तक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने विषयक संकल्प संख्या– 2583 दिनांक– 29.08.2022, अधिसूचना संख्या– 2584 दिनांक– 29.08.2022, अधिसूचना संख्या– 2585 दिनांक– 29.08.2022 एवं अधिसूचना संख्या– 2586 दिनांक– 29.08.2022 निर्गत है जिसमें कक्षा 6 से 8 के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावासी हेतु 2000 रूपये के स्थान पर 2500 रूपये संशोधन करने के संबंध में।

2. संकल्प संख्या– 2583 दिनांक– 29.08.2022 के आलोक में निर्गत अधिसूचना संख्या– 2584 दिनांक– 29.08.2022, अधिसूचना संख्या– 2585 दिनांक– 29.08.2022 एवं अधिसूचना संख्या– 2586 दिनांक– 29.08.2022 की कंडिका– 7 में उल्लेखित कक्षा 6 से 8 के हेतु छात्रावासी के रूपये के स्थान पर 2500 रूपये निर्धारित किया जाता है।

3. संकल्प संख्या– 2583 दिनांक– 29.08.2022 के आलोक में निर्गत अधिसूचना संख्या– 2584 दिनांक– 29.08.2022, अधिसूचना संख्या– 2585, दिनांक– 29.08.2022 एवं अधिसूचना संख्या– 2586 दिनांक– 29.08.2022 इस हद तक संशोधित माने जायेगें।

4. संकल्प संख्या– 2583 दिनांक– 29.08.2022 के आलोक में निर्गत अधिसूचना संख्या– 2584 दिनांक– 29.08.2022, अधिसूचना संख्या– 2585, दिनांक– 29.08.2022 एवं अधिसूचना संख्या– 2586 दिनांक– 29.08.2022 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

5. विभागीय संदेश ज्ञापांक– 3484, दिनांक– 01.12.2022 के द्वारा दिनांक–01.12.2022 को मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या–37 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(के० श्रीनिवासन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:– 03/छात्रवृत्ति(प्री–मैट्रिक)–02/2022 – 3495 रांची, दिनांक– 05/12/2022

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, रॉंची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव का कार्यालय, झारखण्ड, रॉंची/माननीय विभागीय मंत्री (अल्पसंख्यक कल्याण सहित) के आप्त सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, रॉंची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी उप निदेशक कल्याण/सभी परियोजना निदेशक, ITDA/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:– 03/छात्रवृत्ति(प्री–मैट्रिक)–02/2022 – 3495 रॉंची, दिनांक– 05/12/2022

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राज्य के मुद्रणालय,डोरण्डा, रॉंची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 300 प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

सरकार के सचिव।